पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने राज्य विधान मण्डल से पारित आठ विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान की

लखनऊः 15 सितम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित आठ विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2016, (2) एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक-2016, (3) संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, (4) बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, (5) बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, (6) आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, (7) मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2016 तथा (8) एरा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विधेयक-2016 राज्य विधान मण्डल के वर्षा कालीन सत्र में दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल की सहमति हेतु 6 सितम्बर, 2016 को प्राप्त हुए थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2016 द्वारा जनपद बलिया में 'जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया' की स्थापना की गयी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से जनपद बलिया एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी।

संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016, आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक-2016 तथा एरा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश विधेयक-2016 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से पारित हुए है।

राज्यपाल द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2016 को अनुमति प्रदान करने से मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संघटक इकाई/परिसर, आफ कैंपस, वर्चुअल कैंपस की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो गया है। एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक-2016 द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय के लखनऊ स्थित कैंपस को एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, गौतमबुद्ध नगर का ही एक संघटक इकाई/परिसर घोषित किया गया है तथा विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संघटक इकाई/परिसर, आफ कैंपस, आफशोर कैंपस, वर्चुअल कैंपस की स्थापना का अधिकार प्राप्त हो गया है।

ज्ञातव्य है कि राज्यपाल राम नाईक ने 7 अगस्त, 2016 को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ एवं छात्रों के ससमय प्रवेश के दृष्टिगत बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश-2016 तथा आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश-2016 पर अपनी सहमति प्रदान की थी।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान करने से संबंधित विधेयकों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

अंजुम/ललित/राजभवन (334/26)